

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा
क्रमांक:- कोर्ट/प्रार्थना पत्र/70/2020 दायर दिनांक 14.10.2020

उनवान:- निर्मलाबाई बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सुनेल
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

प्रार्थीया श्रीमती निर्मलाबाई पत्नि स्व० बाबूलाल धाकड़ नि० सामिया तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सामिया पटवार मण्डल गादिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 मे खाता संख्या 154, 156, 159, 160 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया के पति का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम सामिया पटवार मण्डल गादिया तहसील सुनेल	154, 156, 159, 160,	निर्मलाबाई पति बापूलाल	निर्मलाबाई पति बाबूलाल



क्रमांक:- राजस्व/2021/ 20-21

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्रीमती निर्मलाबाई पत्नि स्व० बाबूलाल धाकड़ नि० सामिया को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

9c